

आई.सी -74 - दायित्व बीमा

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 2 पृष्ठ क्र. 53

क) निवारक एजेंसियां (Redressal agencies)

इस अधिनियम के उद्देश्य से निम्नलिखितानुसार उपभोक्ता विवाद निवारक एजेंसियों की स्थापना की गयी है:

i. जिला मंच

इस मंच या फोरम के अधिकार क्षेत्र में वे शिकायतें आती हैं जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य तथा दावा की गयी क्षतिपूर्ति राशि रु.20 लाख से कम होती है. जिला मंच का आदेश तब तक अंतिम माना जाता है जब तक कि ऐसा आदेश पारित होने की तारीख से 30 दिन के भीतर उसके विरुद्ध अपील न की जाए. जिला मंच को अधिकार दिये गये हैं कि वह निष्पादन हेतु समुचित सिविल न्यायालय को आदेश भेज सकता है.

ii. राज्य आयोग

इस निवारक प्राधिकारी के पास मूल, अपीलीय तथा पर्यवेक्षीय अधिकार क्षेत्र रहता है. यह जिला मंच से प्राप्त अपीलों पर विचार करेगा. ऐसे मामलों में जहां वस्तुओं/सेवाओं का मूल्य तथा दावा की गयी क्षतिपूर्ति राशि रु.20 लाख से अधिक किंतु रु.100 करोड़ से कम होती है, वहां की जाने वाली शिकायतें इसके मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं.

iii. राष्ट्रीय आयोग

अधिनियम के अंतर्गत स्थापित अंतिम प्राधिकारी है राष्ट्रीय आयोग. इसके पास भी मूल, अपीलीय तथा पर्यवेक्षीय अधिकार क्षेत्र रहता है. यह राज्य आयोग की ओर से पारित किये गये आदेश से उत्पन्न अपीलों की सुनवाई करेगा और अपने मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उन विवादों पर विचार करेगा जहां वस्तुओं/सेवाओं का मूल्य तथा दावा की गयी क्षतिपूर्ति राशि रु.100 लाख से अधिक होती है. राष्ट्रीय आयोग द्वारा दिये गये आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है.

संशोधित पाठ के रूप में

पाठ 02 पृष्ठ क्र.53.

क) निवारक एजेंसियां (Redressal agencies)

इस अधिनियम के उद्देश्य से निम्नलिखितानुसार उपभोक्ता विवाद निवारक एजेंसियों की स्थापना की गयी है:

i) जिला आयोग

इस आयोग के अधिकार क्षेत्र में वे शिकायतें आती हैं जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य तथा दावा की गयी क्षतिपूर्ति राशि रु. 1 करोड़ से कम होती है. जिला आयोग का आदेश तब तक अंतिम माना जाता है जब तक कि ऐसा आदेश पारित होने की तारीख से 30 दिन के भीतर उसके विरुद्ध अपील न की जाए.

जिला **आयोग** को अधिकार दिये गये हैं कि वह निष्पादन हेतु समुचित सिविल न्यायालय को आदेश भेज सकता है.

ii) राज्य आयोग

इस निवारक प्राधिकारी के पास मूल, अपीलीय तथा पर्यवेक्षीय अधिकार क्षेत्र रहता है. यह जिला **आयोग** से प्राप्त अपीलों पर विचार करेगा. ऐसे मामलों में जहां वस्तुओं/सेवाओं का मूल्य तथा दावा की गयी क्षतिपूर्ति राशि रु. **1 करोड़** से अधिक किंतु रु.**10 करोड़** से कम होती है, वहां की जाने वाली शिकायतें इसके मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं.


iii) राष्ट्रीय आयोग

अधिनियम के अंतर्गत स्थापित अंतिम प्राधिकारी है राष्ट्रीय आयोग. इसके पास भी मूल, अपीलीय तथा पर्यवेक्षीय अधिकार क्षेत्र रहता है. यह राज्य आयोग की ओर से पारित किये गये आदेश से उत्पन्न अपीलों की सुनवाई करेगा और अपने मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उन विवादों पर विचार करेगा जहां वस्तुओं/सेवाओं का मूल्य तथा दावा की गयी क्षतिपूर्ति राशि रु. **10 करोड़** से अधिक होती है. राष्ट्रीय आयोग द्वारा दिये गये आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है.

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 2 पृष्ठ क्र. 54

चित्र 3: निवारक एजेंसियां



संशोधित पाठ के रूप में
पाठ 02 पृष्ठ क्र.54.

चित्र 3: निवारक एजेंसियां

